झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड वन क्षेत्र पदाधिकारी मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–04/2024) के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड वन क्षेत्र पदाधिकारी मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–04/2024) दिनांक–22.01.2026 एवं 24.01.2026 को राँची जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में दो पालियों में निर्धारित है। परीक्षा राँची जिले में निम्न कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेगी:–

दिनांक	प्रथम पाली	द्वितीय पाली
22.01.2026	(पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक) सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी	(अपराह्न 02:30 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक) सामान्य अध्ययन
24.01.2026	(पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक) वैकल्पिक विषय (पत्र–I)	(अपराह्न 02:30 बजे से अपराह्न 05:30 बजे तक) वैकल्पिक विषय (पत्र–II)

मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ निम्नवत् हैं :–

1. इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर प्रवेश–पत्र एवं सभी पत्रों के उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल होने की व्यवस्था की गई है।
3. उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक (Provisional) रूप से प्रवेश–पत्र निर्गत किये जायेंगे। किसी भी स्तर पर जाँच या सत्यापन के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण पाये जाने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
4. अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर अपनी पंजीयन संख्या एवं जन्म–तिथि डालकर दिनांक–17.01.2026 से प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश–पत्र एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड नहीं होने की स्थिति मे आयोग के हेल्पलाईन नं0 +919431301636/+919431301419 पर कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा आयोग के पूछताछ काउन्टर पर प्रवेश–पत्र जारी होने की तिथि से दिनांक–21.01.2026 तक कार्यदिवस में अपना नाम, पिता का नाम, जन्म–तिथि एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आवेदन देकर प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
5. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किए गए प्रवेश–पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं परीक्षा केन्द्र की जाँच कर लें। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो आयोग के पूछताछ काउन्टर पर प्रवेश–पत्र जारी होने की तिथि से दिनांक–21.01.2026 तक लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार करा लें। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. परीक्षा केन्द्र पर जाँच हेतु Biometric एवं IRIS की व्यवस्था की गयी है। अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली में पूर्वाह्न–08:00 बजे एवं द्वितीय पाली में अपराह्न–01:00 बजे तक पहुँचना सुनिश्चित करेंगे।
7. सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किए गये प्रवेश–पत्र, संबंधित सभी पत्र का उपस्थिति–पत्रक अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ अन्यथा उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश–पत्र में दिए गए निदेश के अनुसार अपने साथ प्रत्येक उपस्थिति पत्रक हेतु 04 (चार) Passport Size रंगीन फोटोग्राफ एवं वैध पहचान–पत्र परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ।
9. अभ्यर्थी को प्रत्येक पाली के लिए एक ही उत्तर–पुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी।
10. अभ्यर्थी उत्तर–पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर दिये गये ओ0एम0आर0 (OMR) पर आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्टि करने के पूर्व प्रवेश–पत्र, उपस्थिति–पत्रक एवं उत्तरपुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही प्रविष्टि अंकित करें। उत्तर–पुस्तिका में वर्णित निदेशानुसार अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
11. जिन अभ्यर्थियों द्वारा वैकल्पिक विषय के रूप में असैनिक अभियंत्रण (Civil Engineering), यांत्रिकी अभियंत्रण (Mechanical Engineering), रासायनिक अभियंत्रण (Chemical Engineering), गणित एवं सांख्यिकी का चयन किया गया है। वे प्रोग्रामिंग रहित बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर (Non

कृ0पृ0उ0

Programming Battery Operated Pocket Calculator) परीक्षा भवन में लाने और उसका उपयोग करने की अनुमति होगी। परीक्षा भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

12. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic Gadget रखने की अनुमति नहीं है। अतः अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे परीक्षा केन्द्र पर कागज, पर्ची, मोबाईल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथाः बैग, पाठ्य पुस्तिकाएँ, खाद्य सामग्री एवं अस्त्र–शस्त्र इत्यादि साथ में नहीं लाए। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, उत्तर–पत्रक लेकर भाग जाना,उसे नष्ट करना आदि कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 420,379 तथा 426 एवं झारखण्ड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्त्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ दण्डात्मक/अनुशासनिक कार्रवाई के साथ–साथ भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
13. अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाएँ। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात् आनेवाले अभ्यर्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
14. अभ्यर्थियों को सभी पत्रों की परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा अन्यथा मुख्य परीक्षा की मेधा सूची में ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।
15. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।